प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, लखनऊः दिनाँक–18 अक्टूबर,, 2000

विषय : नगरीय क्षेत्रों के लिए ''मजदूरी रोजगार कार्ड योजना'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 (सूडा) द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरणों के माध्यम से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजनायें संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार के शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार डूडा द्वारा जनपदों के शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं का उद्देश्य जहां एक ओर इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन है, वहीं दूसरी ओर नगरी निर्धनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। नगर के उन क्षेत्रों में जहां पर नगरीय रोजगार एवं मलिन बस्ती सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन मलिन बस्तियों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों कें से कम से कम एक व्यक्ति को सम्बन्धित योनजाओं की मजदूरी से लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा ''मजदूरी रोजगार कार्ड योजना'' प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। योजना से सम्बन्धित कार्य का प्रारूप संलग्न है। कृपया नियमानुसार आवश्यकता के अनुरूप कार्डों को छपवाकर जनपद स्तर पर पात्र व्यक्तियों को समय–समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

2. रोजगार कार्ड योजना को प्रथम चरण में उन क्षेत्रों में लागू किया जायेगा जिन क्षेत्रों में मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम अथवा नगरीय मजदूरी योजना के अंतर्गत निर्माण कराया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों के परिवारों का सर्वे कराकर दो सूची में ऐसे परिवार के सदस्यों के विवरण होगें जिनका कम से कम एक सदस्य एक कहीं न कहीं रोजगार पा रहा है। दूसरी सूची में ऐसे सभी परिवारों का विवरण दर्ज किया जायेगा जिनका एक भी सदस्य किसी प्रकार के रोजगार चाहे वह स्वः रोजगार अथवा मजदूरी अथवा सेवा का रोजगार हो, सेवायोजित नहीं है। इसके साथ–साथ इन परिवारों के सर्वे के दौरान उक्त सूचियों में यह भी विवरण अंकित किया जायेगा कि रोजगार की उपलब्धता की दशा में पूर्णतया बेरोजगार परिवार का रोजगार चाहने वाला सदस्य किस प्रकार के रोजगार में लगना चाहेगा (मजदूरी करेगा, राजगीरी करेगा, बढ़ई अथवा प्लम्बरिंग इत्यादि जो भी काम वह कर सकता है) योजना के कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित डूडा कार्यालयों द्वारा इस प्रकार के प्रत्येक कार्यस्थल पर ''मस्टर रोल'' रखा जायेगा। जिसमें उस व्यक्ति के विवरण के साथ–साथ उसका कार्ड नम्बर भी प्रदर्शित होगा। जैसा कि पूर्व में ही परिपत्र सं0 – 707–69–1–2000–21 (सा) / 99, दिनांक 19.02.2000 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। अधिकतर कार्य विभागीय पद्धति से ही कराये जाने हैं। अतः यह आवश्यक है कि मस्टर रोल में सभी विवरण उल्लिखित हों।

3. मजदूरी रोजगार कार्ड योजना के अंतर्गत यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य प्रशिक्षण योजना अथवा स्वः रोजगार में लाभान्वित हो जाता है तो परिवार के रोजगार कार्ड में इसका उल्लेख अवश्य कर दिया जाये ताकि सूडा अथवा डूडा की विभिन्न योजनाओं में ओवर–लैपिंग न हो एवं उपलब्ध संसाधनों में से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। ऐसा व्यक्ति जो स्वः रोजगार की किसी योजना अथवा कौशल प्रशिक्षण की किसी योजना से लाभान्वित हो चुका है, उसे इस योजना में रोजगार देने की बाध्यता नहीं होगी। यहां पर यह भी ध्यान में रखा जाये कि यदि उन मलिन बस्तियों में जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं और वहां पर इस प्रकार के कार्डधारक आवश्यक संख्या से नहीं मिलते हैं तो उसी शहर की अन्य मलिन बस्तियों में उपलब्ध कार्डधारक को रोजगार उपलब्ध कराया जाना होगा। योजनान्तर्गत उक्त कार्ड उन्हीं पात्र व्यक्तियों को दिया जाय जो व्यस्क हों। मजदूरी के रूप में इन्हें दी जाने वाली धनराशि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से कम न हो।

4. अतः अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश लगाने तथा शहरों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने से सम्बन्धित उपुर्यक्त योनजा को शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय। परियोजना अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि निर्माण कार्यों में उर्पुक्त शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो।

5. यह योजना तात्कालिक प्रभाव से लागू की जायेगी। कृपयाइस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की प्रगति से शासन को समय–समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0आर0 लाखा)
सचिव

संख्या–3157(1)/69.1.2000–8(एस0जे0)/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अवर सचिव, शहरी रोजगार उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0आर0 लाखा)
सचिव